



कर्मचारी राज्य बीमा निगम
(श्रम एवं रोजगार मंत्रालय, भारत सरकार)
EMPLOYEES' STATE INSURANCE CORPORATION
(Ministry of Labour & Employment, Govt. of India)



मुख्यालय
Headquarters
पंचदीप भवन सी०आई०जी रोड, नई दिल्ली-110002
PANCHDEEP BHAWAN, C.I.G. MARG, NEW DELHI-110 002
Phone: 011-23604700 Email: dir-gen@esic.nic.in
Website: www.esic.nic.in / www.esic.in

File

No.: G/3/2024-MSU-Part(2)

Date: 03.06.2025

कार्यालय ज्ञापन
Office Memorandum

विषय: 62 वर्षों से अधिक चिकित्सा अधिकारियों की सेवा के विस्तार का निर्णय लेने के लिए महानिदेशक, ईएसआईसी को शक्ति का प्रत्यायोजन।

Subject: Delegation of Power to DG, ESIC for Deciding Extension of Service of Medical Officers Beyond 62 Years.

माननीय अध्यक्ष, ईएसआईसी ने 62 वर्षों से अधिक चिकित्सा अधिकारियों की सेवा के विस्तार का निर्णय लेने के लिए महानिदेशक, ईएसआईसी को शक्तियां प्रत्यायोजित की हैं। डीओपी एंड टी अधिसूचना संख्या के अनुसार। ईएसआईसी अधिनियम, 1948 की धारा 17(2) के साथ पठित जीएसआर 767 (ई) दिनांक 11.08.2018, चिकित्सा अधिकारी नैदानिक/रोगी देखभाल या शिक्षण गतिविधियों में लगे होने पर 62 वर्ष की आयु से अधिक 65 वर्ष तक सेवा में बने रह सकते हैं। माननीय श्रम एवं रोजगार मंत्री, भारत सरकार/ माननीय अध्यक्ष, ईएसआईसी द्वारा अनुमोदित एक परिभाषित एसओपी लागू है।

The Hon'ble Chairman, ESIC has delegated the powers to the Director General, ESIC, for deciding Extension of Service of Medical Officers Beyond 62 Years. As per DoP&T Notification No. GSR 767(E) dated 11.08.2018, read with Section 17(2) of the ESIC Act, 1948, medical officers may continue in service beyond the age of 62 years, up to 65 years, if engaged in clinical/patient care or teaching activities. A defined SOP, approved by the HLEM/ Hon'ble Chairman, ESIC, is in place.

अब माननीय अध्यक्ष, ईएसआईसी द्वारा उपरोक्त प्रावधानों और दिशानिर्देशों के अनुसार 62 वर्षों से अधिक चिकित्सा अधिकारियों की सेवा के विस्तार का निर्णय लेने के लिए महानिदेशक, ईएसआईसी को शक्तियां प्रत्यायोजित करने की स्वीकृति दी गई है।

Now an approval has been accorded by the Hon'ble Chairman, ESIC to delegate the powers to the Director General, ESIC for deciding Extension of Service of Medical Officers Beyond 62 Years, as per above provisions and guidelines.

उप निदेशक (एमएसयू)
Deputy Director (MSU)

1. महानिदेशक /वित्तीय आयुक्त /मुख्य सतर्कता अधिकारी के प्रधान निजी सचिव को
2. PPS to DG/ FC/CVO
3. सभी चिकित्सा आयुक्त/बीमा आयुक्त, मुख्यालय, नई दिल्ली
4. All Medical Commissioners/ Insurance Commissioners, Hqrs, New Delhi
5. सभी चिकित्सा आयुक्त (जोनल) / बीमा आयुक्त (जोनल)
6. All Medical Commissioners(Zonal) /Insurance Commissioners(Zonal)
7. सभी चिकित्सा अधीक्षक, ईएसआईसी अस्पताल/सभी डीन, ईएसआईसी, मेडिकल कॉलेज,
8. All Medical Superintendents, ESIC Hospitals/ All Deans, ESIC, Medical Colleges,
9. सभी क्षेत्रीय कार्यालय/उप-क्षेत्रीय कार्यालय
10. All Regional offices/Sub-regional offices
11. वेबसाइट सामग्री प्रबंधक
12. Website Content Manager